

न्यायालय— कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
परिपत्र

क्रमांक-7/स्टेनो/2020

होशंगाबाद दिनांक 03.10.2020

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक बी/3817 जबलपुर दिनांक 01.10.2020 के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020, क्यू-12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 एवं बी/2655 जबलपुर दिनांक 24.07.2020 तथा इससे संबंधित अन्य परिपत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में परिपत्र क्रमांक बी/3717 जबलपुर दिनांक 26.09.2020 की प्रभावशीलता दिनांक 05.10.2020 से 10.10.2020 तक की अवधि के लिये बढ़ायी गयी है। अतः इस न्यायालय में दिनांक 05.10.2020 से 10.10.2020 तक सामान्य कार्य संपादित न होकर सीमित कार्य संपादित किये जावेंगे, जिसमें ऐसे प्रकरण जो निराकरण के अंतिम अवस्था में हैं, जो अंतिम तर्क के लिए नियत हैं तथा जिनका निराकरण दोनों पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुनने के आधार पर बिना मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किये, किया जा सकता हो, की ही सुनवाई की जावेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र के परिपालन हेतु दिनांक 05.10.2020 से 10.10.2020 तक इस न्यायालय में आवेदनपत्रों के जवाब तर्क, अंतिम तर्क, निर्णय एवं आदेश हेतु नियत प्रकरणों को छोड़कर सुनवाई हेतु नियत शेष प्रकरणों में निम्नानुसार आगामी तिथियां नियत की जाती हैं।

सरल क्र.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	05.10.2020	18.11.2020
2	06.10.2020	19.11.2020
3	07.10.2020	20.11.2020
4	08.10.2020	23.11.2020
5	09.10.2020	24.11.2020
6	10.10.2020	25.11.2020

2. प्रकरणों में जबाब एवं जबाब दावा ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जा सकेंगे। तर्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा वीडियो मोबाइल ऐप के माध्यम से सुने जावेंगे तथा लिखित तर्क ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जा सकेंगे।
3. जिन प्रकरणों में नियत दिनांक को पक्षकार सुनवाई चाहते हैं, उन प्रकरणों में वे ई-मेल के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित कर सकेंगे और साक्ष्य अभिलिखित करने के अलावा अन्य कार्यवाही उनके निवेदन पर संपादित की जा सकेगी।
4. जो पक्षकार याचिका, आवेदनपत्र आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं वे ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर सकेंगे।

न्यायालीन प्रक्रिया से हितवद्ध सभी व्यक्तियों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उपरोक्तानुसार व्यवस्था में सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है।

sd.

(देव नारायण शुक्ल)

प्रधान न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

1- अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ होशंगाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिवक्तागण को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से सूचित करें।

2- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईड पर अपलोड करें।

(देव नारायण शुक्ल)

प्रधान न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)